FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0106 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 24/04/2026 10:24 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 19/02/2026 **Date To (दिनांक तक):** 22/04/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 13:30 बजे **Time To (समय तक):** 16:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 24/04/2026 **Time (समय):** 10:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 24/04/2026 10:24:40 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 0.5 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** COLLECTORATE KE AAGE CHURU

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIKASH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MANGALCHAND MEGWAL

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2001 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	WARD NO. 23, SAHAWA, CHURU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	WARD NO. 23, SAHAWA, CHURU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):**

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	VIJAY KHERIWAL		पिता:BHANWARLAL	1. WARD NO. 50, RAIGAR BASTI,SARDARSHAHAR,CHURU,RAJASTHAN,INDIA
2	KULDEEP ALARIYA		पिता:SHIVCHAND	1. HANUMAN PARK KE PASS,NAGAR PALIKA COLONY,RATANGARH,CHURU, RAJASTHAN,INDIA
3	BALBIR MEGWAL		पिता:ISHWARLAL	1. BIGGA,SHRIDUNGARGARH,BIK

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)**
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		15,000.00

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 15,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो चूरू राजस्थान विषयः- रिश्वत लेते हुऐ पकडवाने बाबत। महोदय, निवेदन है कि मै विकास कुमार पुत्र मंगलचन्द जाति मेघवाल (एससी) निवासी ग्राम साहवा का रहने वाला हूं। मैने दिव्या रानी पुत्री झमनलाल जाति शर्मा निवासी साहवा से दिनांक 11.01.2026 को अन्तरजातीय विवाह किया था। अन्तरजातीय विवाह करने पर राजस्थान सरकार द्वारा डा0 सवेता बैन अन्तरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती हैं। इस योजना का लाभ लेने हेतु मैने अप्रेल 2025 में मेरी एसएसओ प्रोफाईल के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन किया था। मई 2025 में विजय खेड़ीवाल का कॉल आया कि मै सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय चूरू से बोल रहा हूं। आपके आवेदन में हमारे द्वारा ऑब्जैक्शन किया गया है। आप ऑब्जैक्शन की पूर्ति करवा कर मेरे से व पवन थालोड से मिल लेना आपकी सहायता राशि स्वीकृत करा देगें। आज दिनांक 19.02.2026 को मै सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू के कार्यालय में जाकर पवन जी थालोड से मिला तो उन्होने कहा कि राशि स्वीकृत करने का कार्य मै ही करता हूं। अगर आप एक लाख रूपये खर्चा मुझे देते हो तो आपको सहायता राशि दिलवा देगें। मैने कम करने का कहा तो 70 हजार रूपये लेने हेतु सहमत हो गया। मै पवन थालोड और विजय खेड़ीवाल को मेरे जायज काम के लिए 70 हजार रूपये नही देकर उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। श्रीमानजी से निवेदन है कि कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक 19.02.2026 प्रार्थी एसडी विकास कुमार विकास कुमार पुत्र मंगलचन्द निवासी गांव साहवा मोन0 कार्यवाही पुलिस दिनांक 19.02.2026 को वक्त 01.30 पीएम पर परिवादी विकाश कुमार पुत्र श्री मंगलचन्द जाति मेघवाल उम्र 25 वर्ष निवासी वार्ड नं0 23 साहवा जिला चूरू ने हाजिर कार्यालय होकर उक्त रिपोर्ट पेश की, परिवादी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। परिवादी विकास कुमार ने बताया कि मैने दिव्या रानी पुत्री श्री झमनलाल जाति ब्रहामण निवासी साहवा से दिनांक 11.01.2025 को अन्तरजातीय विवाह किया था। अन्तरजातीये विवाह करने पर राजस्थान सरकार के द्वारा डा0 सवेता बेन अंतरजातिये विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत 10 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाती हैं। इस योजना केा लाभ लेने के लिए मैने अप्रेल 2025 में ऑन लाईन आवेदन किया था। मई 2025 में मेरे पास विजय खेड़ीवाल का फोन आया और कहा कि मै सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू से बोल रहा हूं। आपके आवेदन में हमारे द्वारा ऑब्जैक्शन लगाया गया हैं। आप ऑब्जैक्शन की पूर्ति कर हमारे ऑफिस में मेरे व पवन जी थालौड से मिल लेना आपकी सहायता राशि स्वीकृत करवा देंगे। आज मै सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू के कार्यालय में पवन जी थालोड से मिला तो उसने मेरे को कहा कि सहायता राशि मै ही सवीकृत करवाता हूं। अगर आप एक लाख रूपये खर्चा मुझे देते हो तो आपको सहायता राशि दिलवा देगें। मैने कुछ कम करने का कहा तो पवन थालोड बाबुजी 70 हजार रूपये लेने के लिए सहमत हो गया। मै पवन थालोड व विजय खेड़ीवाल को मेरे सही काम के लिए 70 हजार रूपये रिश्वत नही देकर उसे रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूं। मैने पवन जी व विजय खेड़ीवाल के द्वारा पैसे मांगने की बात मेरी पत्नी दिव्या रानी को बताई तो मेरी पत्नी ने कहा कि अपने सही काम के लिए किसी को रिश्वत नही देनी हैं आप इनको रिश्वत लेते हुऐ पकडवा दो। फार्म ऑन लाईन करने की सारी कार्यवाही मैने ही की है। हमारी पवन जी व विजय खेड़ीवाल से किसी प्रकार की कोई व्यक्तिगत दुश्मनी या रंजिश नहीं है और ना ही हमारा कोई आपस का उधार लेन-देन बकाया है, रिपोर्ट मेरे स्वयं के हस्तलेख में है तथा इस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। परिवादी विकास कुमार ने दिव्या रानी के साथ विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, स्वयं व दिव्यारानी के आधार कार्ड की प्रति पेश की जो शामिल की गई। परिवादी की रिपोर्ट एव मजीद दरयाफ्त से मामला रिश्वत मांगने का पाया जाता है फिर भी रिश्वती मांग का सत्यापन कराया जाना आवश्यक है। सत्यापन उपरान्त जैसी भी स्थिति होगी तदानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। वक्त 2.30 पीएम पर परिवादी श्री

विकास कुमार को मांग सत्यापन करवाने के बारे में पुछा गया तो परिवादी ने बताया कि पवन जी थालोड व विजय जी अभी अपने कार्यालय में मिल सकते है जिससे मिलकर बातचीत कर सकता हूं। इस पर श्री बसंन्त सिंह कानि 164 के मार्फत कार्यालय का वॉईस रिकॉर्डर मंगवाया जाकर वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर वॉईस रिकॉर्डर को चालु व बंद करने की विधि परिवादी विकास कुमार को समझाई गई तथा कानि बसन्त सिंह व परिवादी विकाश कुमार का आपसी परिचय करवाकर एक दुसरे के मोबाईल नम्बरों से अवगत करवाया जाकर परिवादी व बसन्त सिंह कानि को सत्यापन के लिए समाज कल्याण कार्यालय चूरू के लिए रवाना किया गया । वक्त 3.30 पीएम पर श्री बसन्त सिंह कानि. व परिवादी विकास कुमार हाजिर आये तथा बसन्त सिंह ने वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं व परिवादी विकास कुमार कार्यालय से रवाना होकर समाज कल्याण कार्यालय चूरू के पास पंहुचे। मैनें वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी विकास कुमार को सुपुर्द कर संदिग्ध पवन थालोड व विजय से सम्पर्क करने समाज कल्याण कार्यालय की तरफ तरफ रवाना किया, मैं वहीं पर आस-पास मुकिम हो गया। थोडी देर बाद परिवादी श्री विकास कुमार मेरे पास पास आया, मैनें परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी विकास कुमार ने बताया कि मै अन्दर कार्यालय में गया तो वहां पर पवन थालोड व विजय खेड़ीवाल नही मिले मैने अन्य स्टाफ वालों से इनके बारे में पुछा तो उन्होने बताया कि दोनो ही कार्यालय में नही हैं जब भी बजट आयेगा आपका काम हो जायेगा। श्री बसन्त सिंह कानि ने वॉईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको परिवादी के समक्ष सुना गया तो परिवादी की बताई गई बातों की ताईद हुई। उक्त रिकॉर्ड वार्ता में रिश्वत राशि के मांग के सम्बध में कोई तथ्य नही है जिस पर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट बनाने का कोई औचित्य नही है। रिकॉर्ड वार्ता को मेमोरी कार्ड में ही रहने दिया गया। वॉईस रिकॉर्डर को मेमोरी कार्ड सहित सुरक्षित रखा गया, परिवादी को बाद हिदायत रवाना किया गया। दिनांक 06.03.2026 को मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी विकास कुमार के मोबाईल पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि दिनांक 04.03.2026 को वक्त 5.05 पीएम पर मेरे मोबाईल नम्बर पर श्री बलबीर जी बिग्गा वकील साहब का मो0न0 से फोन आया और मेरे के कहा कि पवन थालोड को उस सीट से हटा दिया है तथा विजय जी खेड़ीवाल को उस सीट पर लगा दिया हैं। मेरी विजय जी खेड़ीवाल से बात हो गई है वो कम से कम रूपये में आपका काम करवा देगें। इस मैटर में आप पवन जी थालोड और किसी से कोई बात नही करना आप 09.03.2026 को आ जाना। मैने कहा कि मेरा पेपर है बाद में आता हूं। पवन थालोड को उसकी सीट से हटाकर विजय खेड़ीवाल को लगा दिया हैं। मेरे घर पर कुछ कार्य हैं मै जल्द ही चूरू आकर आपसे सम्पर्क करता हूं। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 12.03.2026 को वक्त 10.00 एएम पर परिवादी श्री विकास कुमार हाजिर कार्यालय आया व दिनांक 06.03.26 को हुई वार्ता को दोहराते हुऐ बताया कि दिनांक 04.03.2026 के बाद दिनांक 09.03.2026 के वक्त 4.08 पीएस पर मेरे मोबाईल नम्बर पर श्री बलबीर जी बीघा वकील साहब का मो0न0 से फोन आया और कहा कि आपका दस दिन में पेमेंट करवा दुंगा। मेरी विजय जी से बात हुई है उसने 40 हजार रूपये देने की बात कही है अपन उसको 35 हजार रूपये साथ चलकर दे देंगें। आपको 10 दिन में पहली किस्त दिला दुंगा। आज श्री विजय जी खेड़ीवाल कार्यालय में मिल सकते है जिससे मै जाकर बातचीत कर सकता हूं। वक्त 10.15 एएम पर पूर्व में दिनांक 19.02.2026 को वार्ता रिकॉर्ड करने में काम में लिया गया मेमोरी कार्ड वॉईस रिकॉर्डर में डालकर श्री बसंन्त सिंह कानि 164 व परिवादी विकाश कुमार को सत्यापन के लिए समाज कल्याण कार्यालय चूरू के लिए रवाना किया गया। वक्त 11.00 एएम पर श्री बसन्त सिंह कानि. व परिवादी विकास कुमार हाजिर आये तथा बसन्त सिंह ने वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं व परिवादी विकास कुमार कार्यालय से रवाना होकर समाज कल्याण कार्यालय चूरू के पास पंहुचे। मैनें वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी विकास कुमार को सुपुर्द कर संदिग्ध से सम्पर्क करने समाज कल्याण कार्यालय की तरफ तरफ रवाना किया, मैं वहीं पर आस-पास मुकिम हो गया। थोडी देर बाद परिवादी श्री विकास कुमार मेरे पास पास आया मैनें परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी विकास कुमार ने बताया कि मै अन्दर कार्यालय में गया तो वहां पर विजय खेड़ीवाल मिले मैने पवन जी के बारे में पुछा तो विजय जी ने बताया कि पवन जी की इस सीट से बदली हो गई तथा यह स्कीम मेरे पास आ गई हैं। मैने कार्य के बारे में बात की तो विजय जी ने कहा कि मैने हमारे विभाग में कार्यरत कुलदीप को कहा था उसके कहे अनुसार मैने दिनांक 09.03.2026 को पहली किस्त का आपका बिल बनाकर भिजवा दिया है आने वाले 8-9 दिनों में पहली किस्त 2.5 लाख आपके खाते में आ जायेगी। अप्रेल 2026 में दुसरी किस्त के 2.5 लाख दिला दुंगा और उसके बाद में पांच लाख की आपकी एफडी बनवा दुंगा। मैने बलबीर जी बिग्गा वकील के बारे में बात की तो विजय जी ने कहा कि बलबीर जी को मै नही जानता हूं मेरी बात हमारे ब्लॉक ऑफिस में कार्यरत श्री कुलदीप से बात हुई थी। बलबीर जी कुलदीप के जानकार रिस्तेदार या मिलने वाले हो सकते हैं। मैने विजय जी को कहा कि बलबीर जी और कुलदीप जी मेरे से ज्यादा लेगें मेरे नुकशान हो जायेगा तो विजय खेड़ीवाल ने कहा कि मेरा कुलदीप व बलबीर जी से कमीटमेंट हो चुका हैं कोई दिक्कत नही है आपका काम मै करवा दुंगा। आप उनको रूपये दोगें उसके बाद में मै आपको बता दुंगा कि मेरे को कितने दिये हैं, काम करने की मेरी गांरटी हैं। हमारे बीच हुई वार्ता को मैने वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। कानि बसन्त सिंह के द्वारा पेश किये गये वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी की बातों की ताईद हुई। परिवादी विकाश कुमार को वकील बलबीर

बिग्गा व कुलदीप से बातचित करने व रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार करने के बारे में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरी परीक्षा हैं। मै बलबीर बिग्गा वकील जी व कुलदीप जी से आईन्दा 2-3 दिन में सम्पर्क कर बातचीत कर सकता हूं। जिस पर परिवादी विकाश कुमार को हिदायत कर रवाना किया गया। रिकॉर्ड वार्ता के वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 19.03.2026 को 10.30 एएम पर परिवादी श्री विकास कुमार हाजिर कार्यालय आया और बताया कि मेरी प्रथम किस्त की राशि 2.5 लाख का बिल विजय खेड़ीवाल ने बना दिया है परन्तु अभी तक राशि मेरे खाते में नही आयी हैं। मेरी प्रथम किस्त की राशि 2.5 लाख रूपये मेरे खाते में आने के बाद ही मै रिश्वती राशि दुंगा। मेरे से विजय खेड़ीवाल कुलदीप व बलबीर के माध्यम से 35 हजार रूपये रिश्वत की मांग कर रहा है तथा पवन थालोड भी जिसको इस सीट से हटा दिया है वह भी काम कर देने का किसी व्यक्ति के माध्यम से मैसेज मेरे पास भिजवा रहा हैं। कुलदीप जी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के ब्लॉक कार्यालय चूरू में मुझे मिल सकते है जिससे मै बात कर सकता हूं। वक्त 11.00 एएम पर पूर्व में वार्ता रिकॉर्ड करने में काम में लिया गया मेमोरी कार्ड वॉईस रिकॉर्डर में डालकर श्री बसंन्त सिंह कानि 164 व परिवादी विकाश कुमार को सत्यापन के लिए समाज कल्याण कार्यालय के ब्लॉक ऑफिस चूरू के लिए रवाना किया गया। वक्त 12.05 पीएम पर श्री बसन्त सिंह कानि. व परिवादी विकास कुमार हाजिर आये तथा बसन्त सिंह ने वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं व परिवादी विकास कुमार कार्यालय से रवाना होकर पुरानी कलैक्ट्रेट के पास समाज कल्याण कार्यालय चूरू के पास पंहुचे। परिवादी विकास कुमार ने बताया कि अगर कुलदीप जी मुझे कार्यालय में मिल जायेगें तो मै वॉईस रिकॉर्डर चालु कर लुंगा जिस पर मैनें वॉईस रिकॉर्डर को बगैर चालु किये ही परिवादी विकास कुमार को सुपुर्द कर संदिग्ध से सम्पर्क करने समाज कल्याण के ब्लॉक कार्यालय की तरफ तरफ रवाना किया, मैं वहीं पर आस-पास मुकिम हो गया। थोडी देर बाद परिवादी श्री विकास कुमार मेरे पास आया और बंद वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि कार्यालय में मैने कुलदीप के बारे में पुछा तो कुलदीप कार्यालय में नही मिला। वक्त 12.28 पीएम पर परिवादी विकास कुमार ने अपने मोबाईल नम्बर से श्री कुलदीप आलडिया बाबु के मो0 न0 पर वार्ता की। परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर दोनो के मध्य हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित पूर्व के काम में लिये हुऐ मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। वक्त 12.33 पीएम पर परिवादी श्री विकाश कुमार के मोबाईल पर श्री कुलदीप आलडिया बाबु के मो0 से फोन आया, उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल का स्पीकर ऑन कर दोनो के मध्य हुई वार्ता को ब्यूरो के डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में स्थापित पूर्व के मैमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया। वक्त 12.50 पीएम पर पूर्व में वार्ता रिकॉर्ड करने में काम में लिया गया मेमोरी कार्ड वॉईस रिकॉर्डर में डालकर श्री बसंन्त सिंह कानि 164 व परिवादी विकाश कुमार को ब्लॉक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू के लिए रवाना किया गया। वक्त 2.10 पीएम पर श्री बसन्त सिंह कानि. व परिवादी विकास कुमार हाजिर आये तथा बसन्त सिंह ने वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं व परिवादी विकास कुमार कार्यालय से रवाना होकर ब्लॉक कार्यालय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू के पास पंहुचे मैनें वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी विकास कुमार को सुपुर्द कर संदिग्ध से सम्पर्क करने कार्यालय की तरफ तरफ रवाना किया, मैं वहीं पर आस-पास मुकिम हो गया। करीब पौन घण्टे बाद परिवादी श्री विकास कुमार मेरे पास पास आया मैनें परिवादी से वॉईस रिकॉर्डर लेकर बंद कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी विकास कुमार ने बताया कि मै कार्यालय के पास गया तो कुलदीप जी से बात की तो कुलदीप जी ने कहा कि मै आ रहा हू थौडी देर बाद मै कार्यालय में गया तो कुलदीप जी मुझे मिले। मैने विजय खेड़ीवाल से हुई बात व बलबीर जी से हुई बात के बारे में बताया तो कुलदीप ने कहा कि हां मेरी विजय जी और बलबीर जी से बात हो रखी है आपका प्रथम किस्त का बिल बनाकर विजय जी ने भिजवा दिया है। दो-चार दिन में तेरी प्रथम किस्त का भुगतान हो जायेगा। मैने पवन थालोड द्वारा भी 70 हजार रूपये मांगने के बारे में बताया तो उसने कहा कि वह अब इस सीट पर नही है, उसने इस सीट पर रहते तेरा काम नही किया अब उसे पैसे नही देने। तेरा काम मेरे कहने पर विजय खेड़ीवाल ने किया हैं। कुलदीप जी ने कहा कि अगर पवन को रूपये देगा तो दूसरी किस्त किससे करवायेगा। मेरी गारण्टी है तेरी दो-चार दिन में पहली किस्त आ जायेगी तथा दुसरी किस्त भी जारी करवा दुंगा। मेरे कहने पर कुलदीप जी ने अपने मोबाईल से विजय खेड़ीवाल से बात की तो उन्होने भी कहा कि अब पवन इस सीट पर नही है, पवन को पैसे नही देने हैं। मैने पवन से मेरे मोबाईल से बात की तो पवन ने भी कहा कि तेरा काम करवा दिया हैं। कुलदीप जी ने मेरे को कहा कि आपने बलबीर से बात की कितने बताया है तो मैने कहा कि बलबीर जी कह रहे थे कि 40 हजार रूपये विजय ने मांगे है 35 हजार दे देगें। हमारे बीच हुई वार्ता को मैने वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। परिवादी विकास कुमार ने बताया कि मेरी प्रथम किस्त 2.5 लाख का बिल विजय खेड़ीवाल ने बना दिया है। श्री विजय खेड़ीवाल व कुलदीप जी से हुई वार्ता के अनुसार यह राशि 31 मार्च से पहले आने की सम्भावना हैं। मैने कुलदीप जी को कह दिया है कि मेरे पास पहले रूपये नही है, रूपये मै प्रथम किस्त की राशि 2.5 लाख मेरे खाते में आने के बाद ही दूंगा। मेरी प्रथम किस्त तो आ जायेगी लेकिन अगर मै कुलदीप जी, विजय जी को यह रिश्वती राशि नही दुंगा तो मेरी दुसरी किस्त जो वो अप्रेल 2026 में आने की कह रहे है यह किस्त तथा 5 लाख की एफडीआर नही बनवायेगें। इसलिए मेरे को रिश्वती राशि विजय जी व कुलदीप जी को देनी पडेगी। कानि बसन्त सिंह के द्वारा पेश किये गये वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी की बातों की ताईद हुई। वक्त 3.00 पीएम पर परिवादी विकाश कुमार को रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार

करने के बारे में कहा गया तो परिवादी ने बताया कि मेरी परीक्षा हैं। मै आईन्दा मेरी प्रथम किस्त आने के बाद 2-4 दिन में सम्पर्क करता हूं। जिस पर परिवादी विकाश कुमार को प्रथम किस्त की राशि खाते में प्राप्त होने के बाद अपनी पत्नी से इस कार्यवाही के सम्बधं में लिखित सहमति प्राप्त कर लाने कि हिदायत कर रवाना किया गया। रिकॉर्ड वार्ता के वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 30.03.2026 को वक्त 5.30 पीएम पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने परिवादी विकास कुमार के मोबाईल पर वार्ता की तो परिवादी ने बताया कि मेरे पास प्रथम किस्त की राशि 2.5 लाख रूपये बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो चुकी है और आज विजय जी ने अपने नम्बर से मेरे मो0न0 पर कॉल किया कि बैलैंस चैक करो आपके खाते में पैसे आ चुके है जिस पर मैने कहा कि चैक कर बताता हूं। जिस पर मैने बैंक बैंलस चैक कर वापस कॉल किया और उनको बताया कि हां 2.5 लाख रूपये खाते में आ चुके है मै एक दो दिन में आपके पास आता हूं। जिस पर परिवादी को आवश्यक हिदायत की गई। दिनांक 01.04.2026 को 9.00 एएम पर परिवादी श्री विकास कुमार हाजिर कार्यालय आया और दिनांक 30.03.2026 को हुई वार्ता की ताईद करते हुए बताया कि मेरी प्रथम किस्त की राशि 2.5 लाख रूपये बैंक खाते के माध्यम से प्राप्त हो चुकी हैं। बलबीर बिग्गा वकील साहब रिश्वती राशि के लिए मेरे को फोन कर रहे है। आज सुबह बलबीर बिग्गा वकील अपने मो0न0 से मेरे मो0न0 पर व्हाट्स अप चैट लिख रहा हैं कि मै चूरू ही हॅू मेरे पास 5-7 बार कॉल आ गये है आप मुझे भेज दो मै कर देता हू अगर आज चूरू आ रहे हो तो ठीक हैं। मैने लिखा कि मेरे यूपीआई में समस्या है ऑन लाईन नही होगे मै आज चूरू आ रहा हूं। बलबीर जी ने लिखा कि मै उनको बोल देता हूं कि आज कर देगें दोपहर तक। मेरी प्रथम किस्त तो आ गई लेकिन अगर मै कुलदीप जी, विजय जी व बलबीर जी को यह रिश्वती राशि नही दुंगा तो मेरी दुसरी किस्त जो वो अप्रेल 2026 में आने की कह रहे है किस्त तथा 5 लाख की एफडीआर मेरी नही बनवायेगें। इसलिए मेरे को रिश्वती राशि विजय जी व कुलदीप जी को देनी पडेगी। आज बैंक की छुटटी है और मैने एटीएम से पैसे निकालने का प्रयास किया लेकिन यूपीआई की समस्या होने के कारण एटीएम से भी रूपये नही निकल रहे हैं। इस कारण आज मेरे से रिश्वती राशि की व्यवस्था नही हो पायी हैं। मेरी दिनांक 05.04.2026 को एसआई की परीक्षा है। मेरी इस परीक्षा के बाद में ही रिश्वती राशि इनको दूंगा। मेरी पढाई का समय खराब हो रहा है इसलिए आगे की सारी कार्यवाही मैं मेरी परीक्षा के बाद ही करूंगा। परिवादी ने अपनी पत्नी श्रीमती दिव्या रानी की तरफ से कार्यवाही के सम्बधं में सहमति का प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। वक्त 9.15 एएम पर परिवादी विकास कुमार व विजय खेड़ीवाल के मध्य रिश्वती मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.03.2026, जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मय हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई। परिवादी विकास कुमार व कुलदीप के मध्य जरिये मोबाईल व आमने सामने हुई वार्ता दिनांक 19.03.2026 जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मय हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता का क्लॉन श्री बसन्त सिंह कानि0 से दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क A अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क A-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वजह सबूत को श्री कृष्ण सिंह हैड कानि के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 3.30 पीएम पर परिवादी श्री विकास कुमार ने बताया कि बलबीर बिग्गा वकील को उसके मो0न0 पर मेरे मो0न0 पर व्हाट्स अप चैट लिख कर बता दिया हैं कि आज बैंक बंद है मै बैंक जाकर आया हूं। परिवादी ने बताया कि आज मेरे से रिश्वती राशि की व्यवस्था नही हो पायी हैं और दिनांक 05.04.2026 को मेरी एसआई की परीक्षा होने के कारण आगे की कार्यवाही परीक्षा के बाद की जावे इसलिए परिवादी को बाद परीक्षा उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 13.04.2026 को 12.30 पीएम पर परिवादी श्री विकास कुमार हाजिर कार्यालय आया और बताया कि बलबीर बिग्गा वकील साहब रिश्वती राशि के लिए मेरे को फोन व मैसेज कर रहे है। दिनांक 07.04.2026 को बलबीर बिग्गा वकील ने अपने मो0न0 से मेरे मो0न0 पर व्हाट्स अप चैट लिखा कि फोन तो उठा ही सकते हो उनके कॉल आ रहे हैं कल पक्का आ जाना जिस पर मैने वापस लिखा कि उनको यह बोलो कि भरोसा कोई चीज होती हैं, मै मना थोडी कर रहा हूं काम करवाया है तो पेमेंट भी दूंगा। बलबीर जी ने लिखा कि 10 दिन से ज्यादा हो गये तब बोल रहे हैं । मैने लिखा कि मैने एक साल इंतजार किया है वो दो दिन ओर इंतजार कर सकते हैं। आपको नही कुलदीप जी व विजय जी के लिए बोल रहा हूं। मैने मेरे मो0न0 से कुलदीप जी को उनके पर दिनांक 10.04.26 को 7.54 एएम पर व्हाट्स अप चैट लिखा कि आज नही आ पाउंगा घर पर कोई रिस्तेदार आने वाले है आप बलबीर जी को बोलते हो वो मुझे कॉल करते हैं इसलिए सीधा मैसेज कर रहा हूं, आज नही आ पांउगा सोमवार या मंगलवार को अजमेर जाना है मुझे 2,4 महीने के लिए तो जाते टाईम आपसे मुलाकात करते जांउगा, क्योकि इसके बाद मुझे टाईम नही मिलेगा। आप दो दिन और इंतजार करो, सोमवार या मंगलवार को दोपहर से पहले मिलते हैं। उसके बाद कुलदीप ने मेरे को व्हाट्स एप्प वॉईस कॉल किया लेकिन मेने उठाया नही। उसी दिन वक्त 11.12 एएम बलबीर ने अपने उपरोक्त नम्बरो से मेरे

उपरोक्त नम्बर पर मेरे द्वारा कुलदीप को उसी दिन जो मैसेज भेजा था वही मैसेज फारवर्ड कर मेरे को भेजा और लिखा कि आप कुलदीप को क्यो मैसेज करते हो, जब बात अपनी हो रखी है और उसने भी बोल दिया है तो कोई बात नही आ जाना सोमवार या मंगलवार को। मैने पवन के द्वारा जयसिंह के मार्फत 70 हजार मांगने का लिखा तो बलबीर जी ने लिखा कि सोमवार को वर्कीग डे है मंगलवार को 14 अप्रेल है छुटटी है। 70 हजार उसको दोगे फिर इधर दोगे ऐसे काम नही चलेगा। आप तो सोमवार को आ जाओ बाकी मुझे पर छोड दो सबका इलाज कर दूंगा। कल शाम को भी लिखा कि कल आ रहे हो क्या आप चूरू तब मैने आज सुबह लिखा कि 12 बजे तक पंहुचुंगा। बलबीर जी ने लिखा कि मै जयपुर हूं चूरू 3 बजे तक पंहुचुगा। बलबीर बिग्गा वकील के मो0न0 से परिवादी विकास कुमार के मो0न0 पर हुई व्हाट्स अप चैट व परिवादी के मो0न0 से कुलदीप के मो0न0 पर दिनांक 10.04.2026 को 7.54 एएम पर हुई व्हाट्स अप चैट के स्क्रीन शॉट लिये जाकर उनके प्रिन्ट लेकर परिवादी विकास कुमार के हस्ताक्षर करवाकर शामिल किये गये। वक्त 3.00 पीएम पर परिवादी श्री विकास कुमार ने बताया कि बलबीर बिग्गा वकील ने मेरे व्हाट्स अप चैट में लिखा है कि मै 5 जे तक चूरू पंहुचुगा तब मैने कहा कि 5 बजे बाद में मेरे को गांव जाने के लिए बस नही मिलेगी तो उन्होने लिखा है कि आप परसों आ जाना। मै परसो दिनांक 15.04.2026 को आकर बलबीर से बात करूंगा। इस पर परिवादी विकास कुमार को हिदायत कर रवाना किया गया। दिनांक 15.04.2026 को 11.00 एएम पर परिवादी श्री विकास कुमार हाजिर कार्यालय आया। चुकि प्रकरण में संदिग्ध वकील बलबीर बीघा से अभी तक सत्यापन नही हुआ हैं। इसलिए वकील बलबीर बीघा के पास परिवादी विकास कुमार को भेज कर मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक हैं। इसके सम्बधं में परिवादी विकास कुमार को पूछा गया तो परिवादी विकास कुमार ने बताया कि आज मेरे से 20 हजार रूपये की वयवस्था हो पायी है जो श्री बलबीर बिग्गा वकील को देकर उससे मांग सत्यापन के सम्बधं में बात कर सकता हूं। मेरे पास बलबीर बिग्गा वकील का फोन आया है आज मेरे को कलैक्ट्रेट चूरू में मिलने के लिए बुलाया हैं। पवन थालोड अब मेरे काम वाले पद पर नही है उसको उस पद से हटा दिया है। पवन थालोड मेरे से नोर्मल काम की बात कर लेता है लेकिन पैसे की बात नही करता है। पवन थालोड रिश्वत के बारे में पीटीआई रामसिंह को कहता है तथा रामसिंह पीटीआई जो पवन के गांव का है मेरे गांव व समाज के जयसिंह को कहता है। इस प्रकार पवन थालोड या जयसिंह को मै रिश्वत नही दूगा क्योकि वो मेरी दूसरी किस्त नही डलवा सकते। इसलिए मै विजय खेड़ीवाल जो मेरा काम कर रहा है तथा कुलदीप व बलबीर जो उसके साथ मिलकर मेरे से रिश्वत ले रहे है मै उनको ही रिश्वत देकर उनके विरूद्ध कार्यवाही करवाना चाहता हूं। वक्त 11.25 एएम पर परिवादी विकास कुमार के द्वारा पांच सौ-पांच सौ के 40 नोट बलबीर बिग्गा वकील को वार्ता के दौरान देने के लिए जरिये फर्द पेशकशी, सुपुर्दगी, सुपुर्द किये गये, फर्द शामिल की गई। वक्त 11.30 एएम पर कार्यालय के वॉईस रिकॉर्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर उसको खाली होना सुनिश्चित किया जाकर श्री बसंन्त सिंह कानि 164 को सुपुर्द कर कानि व परिवादी विकाश कुमार को बलबीर बिग्गा वकील से सत्यापन के लिए कलेक्ट्रेट चूरू के लिए रवाना किया जाकर हिदायत की गई। वक्त 1.30 पीएम पर श्री बसन्त सिंह कानि. व परिवादी विकास कुमार हाजिर आये तथा बसन्त सिंह ने वॉईस रिकॉर्डर पेश कर बताया कि मैं व परिवादी विकास कुमार कार्यालय से रवाना होकर पुरानी कलैक्ट्रेट के पास समाज कल्याण कार्यालय चूरू के पास मैन रोड पर पंहुचे। वॉईस रिकॉर्डर चालु कर परिवादी विकास कुमार को सुपुर्द कर कलैक्ट्रेट चौराहा की तरफ रवाना किया गया। मै वही पर आसपास परिवादी पर नजर बनाये हुऐ मुकीम हुआ। परिवादी विकास कुमार बाद वार्ता कलेक्ट्रेट परिसर चूरू से महिला एवं बाल विकास कार्यालय की तरफ आया ओर मेरे को बंद वॉईस रिकॉर्डर पेश किया, जिस पर परिवादी को लेकर उपस्थित आया हूं। परिवादी विकास कुमार ने बताया कि मै श्री बलबीर बिग्गा वकील के बताएनुसार कलैक्ट्रेट चौराहा पर चाय/ज्यूस की थडियों के पास पंहुचा। वहां पर श्री बलवीर बिग्गा वकील मेरे पास आया तथा मैनें पवन व जय सिंह का जिक्र किया तो श्री बलवीर ने कहा कि मैं पीटीआई राम सिंह को जानता हूं उसको मैं कह दूंगा जय सिंह व पवन आपसे पैसे नहीं मांगेगें। मैनें कहा कि विजय जी के पास मैं ऑफिस गया था तो वो आपको जानते ही नहीं तो बलवीर जी ने कहा कि ये जो मैनें घड़ी पहन रखी है ये विजय जी की ही है। विजय व कुलदीप के पास जाओगे तो वो यही कहते है कि बलवीर जी को नहीं जानते। ऑफिस में ऐसा कहना पड़ता है। जिस दिन विजय का आपके पास कॉल आया था कि आपका पेमेन्ट आ गया है चैक करो उसी दिन विजय का मेरे पास भी कॉल आया था। सबके सामने कहना पड़ता है कि बलवीर को नहीं जानता हूं। कुलदीप के बारे में कहा कि कुलदीप आज शॉपिंग के लिये सीकर गया हुआ है। मैनें फोन पर कुलदीप से बात करवाने के लिये कहा तो बलवीर जी ने अपने मोबाईल से कुलदीप को फोन मिलाकर मेरी बात करवाई। मैनें मेरी दुसरी किश्त के बारे में बात की तो कहा कि जल्दी ही करवा दूंगा, जितना जल्दी हो सके। विजय जी से बात करके इसी महिने में तीस तारीख से पहले पहले करवा दूंगा। मैनें कहा कि अब तो मैं 20 हजार लेकर आया हूं बाकी 15 हजार रुपये बीस तारीख से पहले कर दूंगा। तब कहा कि 35 हजार नहीं 40 हजार देने होगें तो मैनें कहा कि अपनी 35 हजार की बात हुई थी 35 हजार से उपर एक रुपया भी नहीं दूंगा। मैनें 20 हजार रुपये बलवीर जी को दिये जिसने गिनकर अपनी जेब में रख लिये। मैनें विजय जी से बात करने का कहा तो बलवीर ने कहा कि आधे ही पैसे लेकर आया है क्या बात करनी है। मैं शाम को विजय से बात करके आपको दुसरी किश्त के बारे में बता दूंगा। शेष 15 हजार रुपये बीस तारीख तक देने की कहकर के आया हूं। मेरे व बलबीर बिग्गा वकील के बीच हुई वार्ता को मैने वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया हैं। वॉईस

रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो परिवादी विकास कुमार की बातों की ताईद हुई। वक्त 3.30 पीएम पर परिवादी विकाश कुमार को शेष 15 हजार रुपये रिश्वती राशि सहित उपस्थित आने की हिदायत कर रवाना किया गया। रिकॉर्ड वार्ता के वॉईस रिकॉर्डर को सुरक्षित रखा गया। दिनांक 22.04.2026 को वक्त 8.00 एएम पर परिवादी श्री विकास कुमार हाजिर कार्यालय आया और बताया कि रिश्वत में दिये जाने वाले 15,000 रूपये साथ लाया हूं। वक्त 8.30 एएम पर परिवादी विकास कुमार व बलबीर बीघा के मध्य आमने सामने हुई वार्ता दिनांक 15.04.2026 जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट मय हिन्दी रूपान्तरण तैयार की गई। रिकॉर्ड वार्ता का क्लॉन श्री बसन्त सिंह कानि0 से दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क B अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर अन्वेषणार्थ खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क B-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। वजह सबूत को श्री कृष्ण सिंह हैड कानि के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। वक्त 01.00 पीएम पर उप निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग चूरू से तलविदा दो कर्मचारी श्री देवीलाल सिहाग सहायक सांख्यिकी अधिकारी व श्री मुकेश कुमार सैनी संगणक के उपस्थित आये। आमदा दोनो कर्मचारियों को परिवादी के द्वारा करवाई जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह रहने बाबत पूछा तो दोनो ने अपनी सहमति व्यक्त की। इस पर दोनो स्वतन्त्र गवाहों का हाजिर परिवादी विकास कुमार से आपस में परिचय कराया गया। परिवादी की रिपोर्ट व सत्यापन वार्ता के तथ्यों से दोनो गवाहों को अवगत कराया गया, जिसे परिवादी ने सही होना बताया। वक्त 3.00 पीएम परिवादी श्री विकास कुमार ने मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर रिश्वत में दिये जाने वाले 15,000 रूपये पेश किये जिनका विवरण इस प्रकार हैः- एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2UT 306548, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5AQ 986213, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2AF 685376, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 9CP 086582, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 6QP 948801, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2BB 596752, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 0BR 430219, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5AP 176857, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 8PL 538385, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 6KQ 022056, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 1EW 805469, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 7MC 697546, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 1KC 092698, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 9FH 007418, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 4BA 306698, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 7AB 130403, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 4VD 620044, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 3GP 089681, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2GR 861196, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 6FH 750758, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 3VF 691761, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 1EE 808395, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 2QB 742486, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 3DM 197089, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 3PF 546240, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 8MA 459302, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 4VK 584574, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 8FG 837984, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 5LM 511295, एक पांच सौ रूपये का नोट नम्बर 3VW 645601 उक्त सभी नोटो को अखबार पर रखवाकर श्री उदाराम चांगरा कनिष्ठ लिपिक से फिनोफ्थ्लीन पाउडर लगवाया गया। परिवादी विकास कुमार की जामा तलाशी गवाह देवीलाल सिहाग से लिवायी गई तो कोई आपतिजनक वस्तु नहीं पाई गई। रिश्वती राशि 15,000 रूपये परिवादी श्री विकास कुमार के पहनी पेंट की दाहिनी जेब में श्री उदाराम चांगरा से रखवाये गये। परिवादी को हिदायत की गई कि आरोपी बलबीर बिग्गा द्वारा रिश्वत की मांग करने पर उक्त पाउडर युक्त नोट उसे देवे। रिश्वत की राशि लेकर आरोपी कहां रखता है उसका ध्यान रखे व अपने कार्य के सम्बधं में वार्ता करें। रिश्वत राशि लेन देन के पश्चात मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल से मिस कॉल कर ईशारा करे। दोनो गवाहान को निर्देश दिये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर रिश्वत के लेन-देन व इस बीच होने वाली वार्ता को क्रमशः देखने व सुनने का प्रयास करे। तत्पश्चात एक साफ डिस्पोजल गिलास में साफ पानी भरवाया जाकर उसमें सोडीयम कार्बोनेट पाऊडर डालकर घोल बनाया गया तो पानी रंगहीन रहा। इस रंगहीन घोल में श्री उदाराम चंगारा के हाथ की अंगुलियों को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार परिवादी व गवाहान को फिनोल्फथलीन व सोडियम कार्बोनेट पाऊडर की रासायनिक प्रतिक्रिया का दृष्टांत देकर महत्व समझाया गया। गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया व डिस्पोजल गिलास तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोल्फथलीन पाऊडर लगाया है, को जलाकर नष्ट किया गया। श्री उदाराम चांगरा के हाथ साबुन पानी से धुलवाये गये। फिनोफ्थ्लीन पाउडर की शिशी सुरक्षित रखवाई गई। नये डिस्पोजल गिलास ट्रेप बॉक्स में रखे गये। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों/गवाहों के हाथ साबुन पानी से धुलवाये जाकर हिदायत मुनासिब की गई। परिवादी को रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय के वॉईस रिकार्डर में नया मेमोरी कार्ड डालकर, मेमोरी कार्ड व वॉईस रिकॉर्डर को खाली होना सुनिश्चित किया जाकर हमराह लिया गया जो आईन्दा परिवादी को सुपुर्द किया जावेगा। रिश्वत स्वीकृति के ईशारे के लिए परिवादी के पास उसका मोबाईल पास रहने दिया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेसकसी, सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टांत फिनोल्फथलीन

पाऊडर अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। वक्त 3.25 पीएम पर श्री महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक, मय श्री कृष्ण सिंह हैड कानि, रिपेन्द्र सिंह कानि को प्राईवेट वाहन से कार्यालय उप निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू के कार्यालय के लिए रवाना कर हिदायत की गई तथा श्री ईशब अली उ0नि0 मय श्री मंगतुराम सउनि, श्री श्रवण कुमार कानि मय प्राईवेट वाहन से ब्लॉक कार्यालय सामाजिक सुरक्षा चूरू रवाना कर श्री बसंन्त सिंह कानि को उसकी स्वयं की मोटरसाईकिल से परिवादी विकास कुमार के साथ वॉईस रिकॉर्डर देकर रवाना किया गया, श्री राजकुमार कानि को मोटरसाईकिल से पीछे-पीछे रवाना किया गया तथा मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाह श्री देवीलाल सिहाग सहायक साख्यिकी अधिकारी व श्री मुकेश कुमार सैनी संगणक तथा चूरू चौकी का जाप्ता सर्वश्री राजपाल सिंह, आबिद खान हैड कानिगण के ट्रेप बॉक्स, लैप टॉप, प्रिन्टर ईत्यादि हमराह लेकर सरकारी वाहन मय चालक श्री सुरेन्द्र सिंह के वास्ते करने ट्रेप कार्यवाही रवाना कलक्ट्रेट चूरू के लिए होकर कलक्ट्रेट चौराहा पर पंहुचा। कानि श्री बसन्त सिंह ने परिवादी विकास कुमार का रिश्वत लेनदेन के समय होने वाली वार्ता को रिकार्ड करनें के लिए कार्यालय का वॉईस रिकार्डर सुपुर्द कर कलक्ट्रेट के आगे बनी चाय की थडीयों के पास आरोपी से सम्पर्क करने रवाना किया। कानि बसन्त सिंह व राजकुमार परिवादी के आस-पास चाय की थडीयों पर मुकीम है मन् अति0 पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान के कलक्ट्रेट चोराहा पर पुलिया के नीचे परिवादी के ईशारे के इंतजार में मुकीम हुए। वक्त 04.04 पीएम पर मैं अति0 पुलिस अधीक्षक दोनों गवाहान मय ट्रेप दल सदस्यो के कलेक्ट्रेट के आगे चाय की थड़ी के पास पंहुचा। जहां पर परिवादी विकास कुमार एक काली पेन्ट व सफेद शर्ट पहने व्यक्ति के पास खड़ा है। परिवादी ने वॉइस रिकॉर्डर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को सुपुर्द किया जिसको बंद किया गया। परिवादी ने अपने पास खड़े व्यक्ति की तरफ ईशारा कर बताया कि यही बलबीर जी बिग्गा वकील साहब है जिन्होने अभी अभी मेरे से 15,000 रूपये रिश्वत के प्राप्त कर गिन कर अपने पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे है। जिस पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक ने अपना व गवाहान का परिचय देकर इसका परिचय पूछा तो यह व्यक्ति एकदम से घबरा गया व पुछने पर अपना नाम श्री बलबीर बिग्गा पुत्र ईश्वरलाल मेघवाल निवासी बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर तथा चूरू न्यायालय में अधिवक्ता होना बताया। इस पर श्री बलबीर बिग्गा को परिवादी विकास कुमार से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पुछा तो बलबीर बिग्गा ने कहा कि विकास कुमार मेरा रिश्तेदार है, इसकी शादी में मैनें विकास को उधार रूपये दिए थे जो आज इसने मुझे लौटाये है जो मेरी पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब में रखे है। इस पर हाजिर परिवादी श्री विकास कुमार ने स्वतः ही बताया कि बलबीर जी झूठ बोल रहे हैं। मैनें इनसे कोई रूपये उधार नहीं लिये थे। मेरा अन्तरजातीय विवाह होने के कारण मैनें राज्य सरकार से मिलने वाली 10 लाख सहायता राशि के लिए ऑनलाईन आवेदन किया था। बलबीर जी ने मेरे को फोन कर कहा कि समाज कल्याण विभाग में विजय जी खेड़ीवाल ने मेरे को कहा है कि आपकी 10 लाख रूपये की सहायता राशि स्वीकृत करवा देंगे इसके लिए विजय जी को 35,000 रूपये खर्चे के देने होंगे। मैनें विजय जी से बात की तो विजय जी ने कहा कि मैनें आपकी सहायता राशि के लिए बिल बनाकर भेज दिया है। 31 मार्च से पहले पहले आपकी प्रथम किस्त 2.5 लाख खाते में आ जायेगी। मैनें विजय जी को पैसे के बारे में कहा तो विजय जी ने कहा कि हमारे ब्लॉक ऑफिस में कार्यरत कुलदीप आलड़िया ने मेरे को कहा है और उसके कहने से मैनें आपका बिल बनाकर भेजा है। मैनें कुलदीप जी से बात की तो कुलदीप जी ने कहा कि विजय जी आपको मार्च में प्रथम किस्त दिला देगें, आप 35,000 रूपये बलबीर बीग्गा वकील को दे देना। कुलदीप के कहने पर मैनें दिनांक 15.04.2026 को बलबीर जी से बात की तो बलबीर जी ने कहा कि आपको प्रथम किस्त 2.5 लाख रूपये मार्च में दिला दिए है तथा दूसरी किस्त 2.5 लाख रूपये अप्रैल में दिलवा देंगे, विजय जी को कहकर जल्दी से जल्दी दिलवा दूंगा। जिस पर उसी दिन मैनें बलबीर जी को 20 हजार रूपये दे दिए थे, शेष 15,000 रूपये आज मैनें बलबीर जी को पूर्व की वार्तानुसार मांगने पर रिश्वत के दिए है। इस पर आरोपी के द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने की पुष्टि होने पर मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी बलबीर बिग्गा का दायां व बांया हाथ क्रमशः बसन्त सिंह व राजकुमार ने कलाईयों से पकड लिये। सड़क आम पर लोगों की आमद-रफत होने व मौके पर लोगों की भीड़ होने के कारण सुरक्षित कार्यवाही हेतु श्री बलबीर बिग्गा के हाथ ज्यों के त्यों पकड़े पकड़े गाड़ी में बैठाकर हमराहियों सहित रवाना होकर एसीबी कार्यालय चूरू पहुंचा। निर्देशानुसार पूर्व में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू रवाना शुदा श्री महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक मय हमराहियान के आरोपी विजय खेड़ीवाल को तथा श्री ईशब अली उप निरीक्षक मय हमराहियान के पूर्व में रवाना शुदा आरोपी श्री कुलदीप आलडिया के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता विभाग चूरू से दस्तयाब कर हमराह लाये। महेन्द्र कुमार पुलिस निरीक्षक द्वारा हमराह लाये गये व्यक्ति ने पूछने पर अपना नाम विजय खेड़ीवाल सहायक प्रोग्रामर, सामाजिक न्याया एवं अधिकारिता विभाग चूरू एवं ईशब अली उप निरीक्षक द्वारा हमराह लाये व्यक्ति ने अपना नाम कुलदीप आलडिया वरिष्ठ सहायक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता विभाग चूरू बताया। आरोपी विजय खेड़ीवाल ने पूछने पर बताया कि जुलाई2025 तक अन्तर्जातीय अनुदान का कार्य मैं देखता था उसके बाद पवन थालोड क0स0 को यह कार्य उप निदेशक द्वारा आवंटित कर दिया गया तत्पश्चात दिनांक 24.02.2026 से उप निदेशक द्वारा पुनः उक्त कार्य मुझे आंवटित किया गया। विकास कुमार द्वारा अन्तर्जातीय विवाह मे राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि हेतु ऑन लाईन आवेदन किया गया हैं। जिस पर कार्यालय से कार्यवाही की जाकर दिनांक 30.03.2026 को प्रथम किस्त के 2.5 लाख रूपये विकास कुमार व उसकी पत्नी के संयुक्त खाते में जमा हो चुके है, दुसरी किस्त 2.5 लाख रूपये तथा 5 लाख रूपये की

एफडीआर बनवाना शेष हैं। विकास कुमार करीब एक माह पहले मेरे पास कार्यालय में आया था और इसके द्वारा अन्तरजातीय विवाह पर मिलने वाली सहायता राशि के बारे में मेरे से बात की थी तो मैने कहा कि मैने आपका बिल बनकर भेज दिया है, 31 मार्च तक आपके खाते में प्रथम किस्त के 2.5 लाख रूपये जमा हो जायेगें दूसरी किस्त की राशि 2.5 लाख रुपये अप्रेल 2026 में जारी कर देगें। मैने विकास कुमार को किस्त दिलाने के पेटे किसी प्रकार की राशि देने के लिए नही कहा था, ना ही मैने विकास कुमार से कोई राशि की मांग की थी तथा ना ही मैने कुलदीप आलडिया या बलबीर वकील को रूपये देने के लिए विकास को कहा था। इस पर हाजिर परिवादी विकास कुमार ने बताया कि विजय कुमार गलत कह रहे हैं। मेरे अर्न्तजातीय विवाह के आवेदन करने के पश्चात मै विजय कुमार से बलबीर वकील के कहने पर मिला तो विजय कुमार ने कहा कि कि मेरी कुलदीप से बात हो चुकी है, पैसे के सम्बधं में उससे बात कर लेना जो वो मुझे देगा उसके बाद मै आपको बता दुंगा कि कुलदीप ने कितने दिये हैं। मै आपकी दोनो किश्त जमा करवाकर शेष 5 लाख रूपये की एफडीआर बनवा दुंगा। विजय कुमार से उपरोक्त वार्ता के बाद मै कुलदीप से मिला तो कुलदीप ने कहा कि आपका काम हो जायेगा। बलबीर वकील से आपकी कितने में बात हुई है तब मैने कहा कि बलबीर जी ने 40 हजार मांगे थे फिर हमारा 35 हजार पर सौदा तय हो गया हैं। इस पर कुलदीप ने कहा कि ठीक है मै विजय से बात कर लूंगा। विजय कुमार एवं कुलदीप की वार्तानुसार कुलदीप द्वारा बलबीर वकील को मेरे से 35 हजार रूपये लेने की कहने पर बलबीर ने 20 हजार रूपये रिश्वत के मेरे से पूर्व में प्राप्त कर लिये एवं 15 हजार रूपये आज रिश्वत के प्राप्त किये हैं। कुलदीप आलडिया ने पूछने पर बताया कि विजय कुमार मेरे विभाग का ही है जिसे मै जानता हूं तथा बलबीर वकील मेरा रिस्तेदार है। विकास कुमार अपनी सहायता राशि के सम्बधं में बात करने मेरे पास आया था तो मैने कहा था कि विजय कुमार जी इसी सीट पर कार्य करते है वो आपकों सहायता राशि दिला देगें। मैने विकास कुमार से सहायता राशि दिलाने के नाम पर राशि लेने के बारे में कोई बात नही की तथा विकास कुमार को मैने सहायता राशि दिलाने के नाम पर बलबीर वकील कों खर्चा देने के लिए नही कहा था। इस पर परिवादी विकास कुमार ने बताया कि कुलदीप जी झूठ बोल रहे हैं। बलबीर वकील की मेरे से 35 हजार रूपये खर्चे देने की वार्ता के बाद मै कुलदीप जी से मिला तो इन्होने पूछा की बलबीर जी से खर्चे की क्या बात हुई है तो मैने कहा कि हमारी आपस में 35 हजार रूपये खर्चा देने की बात हो गई है जिस पर कुलदीप जी ने कहा कि ठीक है बलबीर से बात हो गई है तो आपका काम हो जायेगा, मै विजय कुमार को कह दुंगा। आप बलबीर को खर्चा दे देना। कुलदीप जी की उपरोक्त वार्ता के अनुसार बलबीर जी द्वारा खर्चा मांगने पर 20 हजार रूपये पूर्व में तथा 15 हजार रूपये आज बलबीर जी को रिश्वत के दिये हैं। श्री बलबीर बिग्गा वकील, विजय खेड़ीवाल सहायक प्रोग्रामर व कुलदीप आलडिया व0स0 को आपस में मिलीभगत कर रिश्वत लेने का अपराध कारित करने पर गिरफतारी करने के सम्बधं में जरिये तहरीर अवगत कराया गया। ट्रेपदल सदस्य श्री बसन्त सिंह कानि व राजकुमार ने बताया कि हम दोनो कलैक्ट्रेट के सामने परिवादी विकास कुमार के पास ही चाय की थडियों के आस-पास खडे थे। परिवादी विकास कुमार के पास एक अन्य व्यक्ति आया। दोनो आपस में वार्ता करने लगे। वार्ता करते करते ही परिवादी ने अपनी जेब से रिश्वत राशि निकाल कर अपने पास खडे व्यक्ति को दी उसने परिवादी विकास कुमार से रुपये प्राप्त कर गिनकर अपनी पेंट की जेब में रख लिये। परिवादी विकास कुमार ने हम दोनो की तरफ ईशारा भी किया। परिवादी से जिसने पैसे लेकर जेब में रखे थे उसने बाद में पुछने पर अपना नाम बलबीर बीग्गा वकील होना बताया था। ट्रेप कार्यवाही के क्रम में दो साफ डिस्पॉजल गिलासो में साफ पानी भरकर इनमें एक-एक चमच्च सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार किया गया तो पानी रंगहीन रहा। एक गिलास के घोल में आरोपी श्री बलबीर बीग्गा के दाहीने हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क R-1, R-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी बलबीर बीग्गा वकील के बायें हाथ की अंगूलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को कांच की दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क L-1, L-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया। मन् अति0 पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आरोपी बलबीर बीग्गा वकील ने अपनी पहनी पेंट की साईड की दाहीनी जेब से पांच-पांच सौ रूपये के नोट निकाल कर पेश किये। जिनको गवाह देवीलाल सिहाग से गिनवाया गया तो 15,000 रूपये होना बताया। उक्त बरामद रिश्वती राशि के नोटो के नम्बर पूर्व में बनी फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान दोनो गवाहो से करवाया गया तो नोटो के नम्बर वहीं पाये गये। बरामद रिश्वती राशि के नोटो का विवरण फर्द में अकित कर नोटो को खुले कागज की चिट में सील्ड कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। आरोपी बलबीर बीग्गा के लिए एक लोवर की व्यवस्था करवाकर पहनी हुई पेंट बरंग काला को उतरवा कर पेंट की साईड की दाहिनी जेब को उल्टवा कर सोडियम कार्बोनेट पाउडर युक्त रंगहीन घोल में डूबोकर धोवन लिया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया। गिलास के इस मिश्रण को दो साफ शिशीयों में आधा-आधा डालकर शिशीयों को सीलचिट बंद कर मार्क P-1, P-2 अंकित कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शिशीयों को कब्जा में लिया गया । आरोपी बलबीर बीग्गा की उक्त पेंट बरंग काला की जेब को सुखाकर उक्त पेंट को धागे मे सील्ड कर चिट चस्पा कर मार्क P अंकित किया जाकर सम्बधितों के हस्ताक्षर करवाकर पेंट पैकेट को वास्ते वजह सबूत जप्त किया गया। श्री महेन्द्र कुमार

पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी विकास कुमार के नाम सहायतार्थ राशि की पत्रावली की प्रमाणित फोटो प्रति उप निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग से चूरू से लाकर पेश की। उक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तो परिवादी विकास कुमार द्वारा अन्तर्जातीय विवाह मे राज्य सरकार द्वारा देय अनुदान राशि हेतु दिनांक 17.04.2025 को ऑन लाईन आवेदन किया गया हैं। जिस पर कार्यालय से कार्यवाही की जाकर 10 लाख रूपये स्वीकृत होने पर दिनांक 30.03.2026 को प्रथम किस्त के 2.5 लाख रूपये विकास कुमार व उसकी पत्नी के संयुक्त खाते में जमा हो चुके है, दुसरी किस्त 2.5 लाख रूपये तथा 5 लाख रूपये की एफडीआर बनवाना शेष हैं। उक्त प्रमाणित प्रतियों कोवास्ते वजह सबूत पत्रावली पर ली गई। ट्रेप कार्यवाही में हाथ धुलवाई, रिश्वत बरामदगी एवं आरोपी से पुछताछ एवं परिवादी द्वारा तथ्यों की सरकारी मोबाईल से विडियोंग्राफी की गई। उक्त विडियोंग्राफी मोबाईल में प्रयुक्त मेमोरी कार्ड में सेव है। रिकॉर्ड विडियोंग्राफी का क्लॉन श्री बसन्त सिंह कानि0 से एक पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर खुला रखा गया। मेमोरी कार्ड को मोबाईल से निकाल कर सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में डालकर कर सील्ड कर मार्क M अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी श्री विकास कुमार के द्वारा प्रस्तुत टेप रिकार्डर जिसमें वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता रिकॉर्ड है, उसे सुनकर अलग से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट मुर्तिब की जायेगी। आरोपी विजय खेड़ीवाल के मोबाईल की व्हाट्स एप्प नम्बर जीओं व एयरटेल, बलबीर बीग्गा के मोबाईल के व्हाट्स एप्प नम्बर एवं आरोपी कुलदीप के व्हाट्स एप्प नम्बर से आपस में तथा परिवादी विकास कुमार से हुई चैटके स्क्रीन शॉट लिये गये। स्क्रीन शॉट के अवलोकन से बलबीर व कुलदीप की, कुलदीप व विजय की आपस में चैट एवं व्हाट्ए एप्प कॉल हैं। परिवादी विकास कुमार व बलबीर के मध्य परिवादी के कार्य के सम्ंबध में चैट की जानी पायी गई हैं। लिये गये स्क्रीन शॉट को शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वत राशि पृथक से तैयार की गई। ट्रेप कार्यवाही में वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नम्बर-31 की नमूना सील फर्द अलग से तैयार कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तीनो आरोपीगण के मोबाईल जरिये फर्द जप्त किये जाकर श्री विजय खेड़ीवाल, कुलदीप आलडिया व बलबीर मेघवाल द्वारा परिवादी से रिश्वत लेने के आरोप में बाद आगाहा तमाम वाक्यात हस्ब कायदा जरिये फर्द गिरफतार किया गया। परिवादी व आरोपी बलबीर बीग्गा के मध्य वक्त रिष्वत लेन-देन के समय हुई वार्ता जो वॉईस रिकॉर्डर के मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है को परिवादी व गवाहान के समक्ष जरिये कम्प्युटर सुन-सुन कर वार्ता की फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की गई तथा रिकॉर्ड वार्ता का क्लॉन श्री बसंत सिंह कानि0 से दो पैन ड्राईव में डाउनलोड करवाकर पैन ड्राईव तैयार कर एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क C अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पैन ड्राईव को उसके सेफ्टी कवर में डालकर खुला रखा गया। डिजिटल वॉईस रिकार्डर में से मेमोरी कार्ड को निकाल कर मेमोरी कार्ड के सेफ्टी कवर में डालकर उसको कपडे की थैली में सील्ड कर मार्क C-1 अंकित कर सम्बंधित के हस्ताक्षर करवाये गये। कार्यवाही के दौरान वजह सबूत सील्ड करने में प्रयुक्त पीतल की सील नं. 31 को गवाहान के समक्ष नष्ट किया गया। ट्रेप कार्यवाही में जप्त शुदा बजह सबूत धोवन की छः सील्ड शिशिया, शिल्ड रिश्वती राशि, शील्ड पेंट पकैट, लेन-देन वार्ता का शिल्ड मेमोरी कार्ड, शिल्ड व खुला पैन कार्ड, मौके पर की गई विडियो ग्राफी का सील्ड मेमोरी कार्ड व खुला पैन ड्राईव श्री कृष्ण सिंह हैड कानि के मार्फत जमा मालखाना करवाया गया। दोनो गवाहान व परिवादी को रूखस्त दी गई। उक्त ट्रेप में समय-समय पर की गई कार्यवाही का एक रनिंग नोट तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही के समस्त तथ्यों से पाया गया कि परिवादी श्री विकास कुमार पुत्र मंगलचन्द मेघवाल निवासी साहवा जिला चूरू द्वारा अंतरजातीय विवाह कर राजस्थान सरकार द्वारा डा0 सवेता बैन अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना में देय 10 लाख रूपये की सहायता राशि के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू में दिनांक 17.04.2025 को ऑनलाईन आवेदन किया। उक्त सहायता राशि में आधी राशि दो समान किस्तों में नगद एवं आधी राशि की सावधि जमा कराकर विभाग द्वारा लाभार्थी को दी जाती हैं। परिवादी विकास कुमार द्वारा प्रथम किस्त के लिए आरोपी विजय खेड़ीवाल से सम्पर्क किया तो उसने कुलदीप आलडिया से वार्ता करने की कही। कुलदीप आलडिया ने बलबीर मेघवाल वकील से पैसे के सम्बधं में कहने पर परिवादी ने बलबीर मेघवाल से वार्ता की तो उसने कहा कि वह विजय तथा कुलदीप से उसका काम करवा देगा। परिवादी विकास कुमार को देय नगद राशि की पहली किस्त 2.5 लाख रूपये मार्च 2026 में मिल चुकी है, दुसरी किस्त 2.5 लाख रूपये हेतु परिवादी ने विभाग में पुनः कुलदीप आलडिया, विजय खेड़ीवाल से सम्पर्क किया तो उन्होने बलबीर मेघवाल से वार्ता करने का कहा। इस पर बलबीर मेघवाल ने कहा कि उसकी पहली किस्त जमा हो चुकी है, दुसरी किस्त की राशि ही जमा होगी जब पहली किस्त के लिए खर्चा पानी करेगा। श्री बलबीर मेघवाल ने दूसरी किस्त दिलवाने में मदद करने हेतु परिवादी विकास कुमार से 35,000 रूपये रिश्वत की मांग की। आरोपी कुलदीप आलडिया ने आरोपी विजय खेड़ीवाल से वार्ता कर रिश्वत राशि बलबीर मेघवाल को देने के लिए परिवादी को कहा गया। श्री विजय खेड़ीवाल सहायक प्रोग्रामर तथा कुलदीप आलडिया वरिष्ठ सहायक ने अपने-अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अपने वैद्य प्रारिश्रमिक से भिन्न बलबीर मेघवाल से आपस में मिलीभगत कर परिवादी को प्रोत्साहन राशि की दुसरी किस्त दिलवाने के लिए पहली मिली किस्त की एवज में 35,000 रूपये रिश्वत की मांग परिवादी से की गई व 20 हजार रूपये दौराने सत्यापन दिनांक 15.04.2026 को बलबीर मेघवाल ने प्राप्त किये तथा पुर्व वार्तानुसार दिनांक

22.04.2026 को 15,000 रू0 बलबीर मेघवाल ने परिवादी विकास कुमार से आरोपी विजय खेड़ीवाल व कुलदीप आलडिया के लिए रिश्वत के प्राप्त करने पर रगें हाथो पकडा गया। इस प्रकार उपरोक्त तीनों का उक्त कृत्य धारा 7, 7ए भ्र0नि0 अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023 में प्रथम दृष्ट्या अपराध घटित होना पाया जाता है। अतः आरोपी विजय खेड़ीवाल सहायक प्रोग्रामर, कुलदीप आलडिया वरिष्ठ सहायक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू तथा बलबीर मेघवाल निवासी बिग्गा तह0 श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के विरूद्ध उपरोक्त वर्णित धाराओं में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राज0 जयपुर की सेवामें प्रेषित की जा रही है। (महावीर प्रसाद शर्मा) अति0 पुलिस अधीक्षक, भ्र. नि. ब्यूरो चूरू...........कार्यवाही पुलिस..........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महावीर प्रसाद शर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथासंशोधित 2018) व धारा 61(2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1- श्री विजय खेडीवाल पुत्र श्री भंवरलाल जाति रैंगर उम्र 35 वर्ष निवासी वार्ड नं0 50 रैगर बस्ती सरदारशहर जिला चूरू हाल सहायक प्रोग्रामर, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग चूरू 2- श्री कुलदीप आलडिया पुत्र श्री शिवचन्द जाति मेघवाल उम्र 26 वर्ष निवासी हनुमान पार्क के पास नगर पालिका कॉलोनी रतनगढ जिला चूरू हाल वरिष्ठ सहायक ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा अधिकारिता विभाग चूरू 3- श्री बलबीर मेघवाल पुत्र ईश्वरलाल जाति मेघवाल उम्र 34 वर्ष निवासी गांव बिग्गा तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती पिंकी गंगवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एस.यू. बीकानेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 513 पर अंकित है। (पीयूष दीक्षित) पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 685-89 दिनांक 24.04.2026 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-1- विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बीकानेर 2- तकनीकी निदेशक एवं पदेन संयुक्त सचिव, सूचना प्रोधोगिकी एवं संचार विभाग जयपुर 3- निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग जयपुर 4- उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, रेंज बीकानेर 5- अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, चूरू । पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** PINKI GANGWAL **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)
R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Piyush Dixit
Location: Rajasthan,IN
Date: 24/04/2026 10:28:40

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): PIYUSH DIXIT

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1991				
2	Male	2000				
3	Male	1992				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)